भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये FIV भारत पाँच रुपये भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

निग -1352-PBR-16 प्रकरण कं0................./16

(78)

(1) **कौशाबाई** पत्नि स्व0श्री हिम्मत सिंह
(2) **सुरेन्द्र सिंह** (3) **अखिलेश**
(4) **मिथलेश**, तीनों पुत्रगण स्व0श्री हिम्मत सिंह
(5) **अर्जुन सिंह** पुत्र श्री मर्दन सिंह
सभी निवासी–ग्राम गोलखेड़ी, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल --- **आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता**

विरूद्व

(1) **शांतिबाई** पत्नि स्व0श्री भगवत सिंह
(2) **रवि** पुत्र स्व0श्री भगवत सिंह
सभी निवासी–ग्राम गोलखेड़ी, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल --- **अनावेदकगण/उत्तरदातागण**

R.F. 28/4/16

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सीमांकन प्रकरण कं0–148 /अ–12/14–15 आदेश दिनांक 02.07.2015 से दु:खित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण आवेदन के तथ्य

(1) यह कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम गोलखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। उक्त कृषि भूमि पैत्रिक कृषि भूमि होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता को बटबारे में प्राप्त हुई है।

(2) यह कि अनावेदक एवं आवेदकगण आपस में परिवार वाले हैं। अनावेदिका एवं उसका पुत्र तथा आवेदिका में देवरानी, जेठानी तथा भतीजे का संबंध है। पूर्व में आपसी बटबारे में दोनों पक्षों को पैत्रिक कृषि भूमि प्राप्त हुई थी, जिस पर

निरंतर...2....

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1352-PBR/16 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, ईटखेड़ी तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	